



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1267/2025

नवल किशोर मिश्रा

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अवधेश कुमार सिंह, शशि धर पाठक, विनय प्रकाश सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. पुनरीक्षित सूची में वाद की पुकार की गई है। जनहित में दायर की गई इस रिट याचिका पर बल देने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं है और स्थगन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है।
2. उत्तर प्रदेश राज्य के लिये विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कुशवाहा को सुना।
3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत तहसील मनकापुर, जिला गोंडा के सहायक कलेक्टर/तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन में ग्राम- हरखूपुर, परगना- बभनीपायर, तहसील- मनकापुर, जिला- गोंडा में स्थित 0.0240 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कुशवाहा ने लिखित निर्देशों के आधार पर न्यायालय को सूचित किया है कि दिनांक 04.04.2025 के एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए एक आवेदन विचाराधीन है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. तदनुसार, इस याचिका का **निस्तारण** विद्वान सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील- मनकापुर, जिला- गोंडा को यह निर्देश जारी करते हुए किया जाता है कि वे दिनांक 04.04.2025 के एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के आवेदन का तत्परतापूर्वक निस्तारण करें और उसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही का भी विधि के अनुरूप तत्परतापूर्वक निस्तारण करें।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

5 जनवरी, 2026

एमवीएस